

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-१/२०१९/

लखनऊ, दिनांक- ०७ मार्च, २०१९

:::: नियुक्ति पत्र ::::

सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-११/०१/ई-६/२०१६-१७, दिनांक-१० अक्टूबर, २०१८ के क्रम में पत्र संख्या-११ (IV)/०१/ई-६/२०१६-१७, दिनांक-२७ फरवरी, २०१९ के द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर सुश्री समिता मुरलीधर, पत्नी श्री अभिषेक नायर, निवासी-१२०, ब्रह्मपुरी कालोनी, पेपर मिल रोड, शिव मंदिर के सामने, सहारनपुर को राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर में रिक्त स्टाफ नर्स के पदों पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० ४४९००-१४२४०० (लेवल-७) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनाती की जाती हैं :-

- १- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मेंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
 - २- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
 - ३- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
 - ४- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-२०१६ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-४ के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
 - ५- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
 - ६- उक्त नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि यदि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं प्राग्वत्त के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (२)-कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होंगे :-
- १- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
 - २- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
 - ३- ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
 - ४- गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
 - ५- चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
 - ६- एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
 - ७- परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
 - ८- राजकीय मेडिकल कालेजों में या उससे सम्बन्धित चिकित्सालयों में यदि कोई निकट सम्बन्धी सेवारत हो, तो उसका पूर्ण विवरण आदि।
 - ९- किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युक्त न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र १० रूपये के स्टाम्प पेपर पर।
 - १०- भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (३)- जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी

- द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4)- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5)- किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक

संख्या- एम०ई०-१/२०१९/ 790-800

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : -

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन करने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 5- जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर। कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ-साथ सम्बन्धित प्रधानाचार्य को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकरनगर। कृपया स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर।
- 9- नोडल अधिकारी (बेवसाइट), चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10-सुश्री समिता मुरलीधर, पत्नी श्री अभिषेक नायर, निवासी-120, ब्रह्मपुरी कालोनी, पेपर मिल रोड, शिव मंदिर के सामने, सहारनपुर-247001 (उ०प्र०)।
- 11-गार्ड फाईल।

(के०के० गुप्ता)
महानिदेशक